

SSC GD 2025

अवसर बच

POLITY

class - 2

→ नागरिकता (citizenship)

भारतीय संविधान का भाग - 2, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है।

भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है।

Part-2 of the Indian constitution, Articles 5 to 11 are about citizenship. India has provision for single citizenship like Britain. America has dual citizenship.

भाग (Part)-II, एकल नागरिकता ⇒ ब्रिटेन से ली है।
 single citizenship ⇒ Taken from Britain
 Art. 5-11

दोहरी नागरिकता
Dual citizenship ⇒ अमेरिका (USA) → 50 states/राज्य



Art. 11 ⇒ संसद (Parliament) की यह शक्ति दी गयी है कि वह नागरिकता से सम्बंधित (Related to citizenship) कानून (Law) बना सकती है।
→ संसद द्वारा अनु०-11 के अधीन "भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955" लागू किया गया।

Under Art. - 11 → "Indian citizenship Act 1955" passed by the parliament.

- 5 प्रकार (5 ways) -
- ① जन्म द्वारा (By Birth)
 - ② वंशपरंपरा द्वारा (By Descent)
 - ③ पंजीकरण द्वारा (By registration)
 - ④ देशीयकरण द्वारा (By Naturalisation)
 - ⑤ भूमि अर्जन द्वारा (By Acquisition of land)

→ Indian citizenship Act (1955) ⇒ संशोधन (Amendment)
 भारतीय नागरिकता अधि. 1955 ⇓
 1986, 1992, 2003, 2005,
 2015, 2019.

① जन्म से (By Birth)

कौड़ी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 की
 या उसके पश्चात भारत में हुआ हो,
 भारत का नागरिक होगा।

Any person born in India on or after 26
 January 1950 will be a citizen of India.

वर्तमान (Present)

- ① जन्म स्थान - भारत
- ② जन्म के समय माता-पिता (Parents) में कौड़ी
 एक भारत का नागरिक
 हो।

1986

1955 Act ⇒ 26 Jan 1950
 अगर किसी व्यक्ति (person)
 का जन्मस्थान (place of birth)
 भारत (India).

जन्मस्थान (भारत) 26 Jan. 1950
 से पहले या बाद


ex - मौलान

↓
 Birth of place - India

② वंशापरम्परा से (By Descent)

भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ई. को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है,

A person born on or after 26 January 1950 in any country outside India can be citizen of India,



वर्तमान में ⇒ 1955 Act → संशोधन (Amendment)

In Present L पिता शब्द की जगह, माता-पिता भारतीय नागरिक Parents

→ By registration पंजीकरण द्वारा → भारतीय नागरिकता ⇒ Indian citizenship ⇒ Indian originate भारतीय मूल

③ पंजिकरण से (By Registration)

निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति पंजिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है।

यथा -

Any of the following persons can acquire Indian citizenship through registration. As -

पंजिकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 7 वर्ष भारत में निवास करने वाला व्यक्ति।
तगातार भारत में रहा होगा।

A person residing in India for 7 years — prior to the date of application for registration.

ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो किंतु जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो। / Person who were born in India but are residing in any country outside India.

ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी है या करने वाली है।

A foreign woman who has married or is about to marry an Indian.

भारतीय नागरिकों के अल्पवयस्क (Minor) बच्चे ।

Minor children of Indian citizens .

④ देशीयकरण से (By Naturalisation)

कौई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है तथा अपने देश की नागरिकता का परित्याग करके , भारत सरकार को इसकी सूचना दे दिया हो और भारतीय नागरिकता के आवेदन पूर्व कम से कम एक वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो , / Any foreign national

who is an adult and has renounced the citizenship of his country and has informed the Government of India about it and has been living in India continuously for at least one year before applying for Indian citizenship .

इसके साथ - साथ एक वर्ष से पूर्व भी कुल मिलाकर कम से कम 12 वर्ष तक भारत में रह चुका हो एवं संविधान में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तो

वह भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त कर भारत का नागरिक बन सकता है।

Along with this, he has also lived in India for a total of at least 11 years before one year and has acquired good knowledge of any one of the languages mentioned in the Constitution, then he can become a citizen of India by obtaining a certificate of naturalization from the Government of India.

By Naturalisation (1) भारत में निवास पंजीकरण द्वारा \Rightarrow Residing in India \Rightarrow 11 year

(2) पहले जिस देश का नागरिक था, उस देश की का परित्याग (छोड़ दी) कर दिया है, तथा इसकी सूचना भारत सरकार (Indian Govt.) दे दी है।

(3) 22 भाषाओं (language) में किसी एक (any one) भाषा का अच्छा ज्ञान (Good knowledge of any one language)

(4) कला (Art), विज्ञान (science), समाज सेवा (social services) के क्षेत्र से सम्बंधित है।

5. भूमि के अर्जन द्वारा (By Acquisition of Land)

यदि भारत सरकार द्वारा किसी नये भू-भाग को अर्जित कर भारत में उसका विलय किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।

If any new territory is acquired by the Government of India and merged into India, then the people residing in that area automatically get Indian citizenship.

